UPRB060021772026

Presented on : 12-08-2026
Registered on : 12-08-2026
Decided on : 14-08-2026

IN THE COURT OF
Civil Judge(Jr. Div) at DALMAU AT ,Rae Bareli
Presided Over by SHIVAM VERMA
Misc. Civil Cases/760/2026

दिनांक– 14.08.2026

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) उपस्थित।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 3 क पर आपत्ति 7 ग 2 दाखिल की गयी। आपत्ति शामिल मिसिल हो।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 3 क के द्वारा धारा 80(2) जा०दी० के अधीन यथा अपेक्षित नोटिस का तामीला कराये बिना वाद दाखिल करने की अनुमति चाही गयी है। विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) द्वारा प्रार्थनापत्र के विरुद्ध आपत्ति दाखिल की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामला अर्जेंट प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र 3 क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र कागज सं० 3 क स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा व घोषणार्थ हेतु वाद योजित करने के पूर्व धारा 80(2) जा०दी० के अधीन यथा अपेक्षित नोटिस का तामीला कराये बिना प्रार्थीगण को वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली वास्ते सुनवाई मूलवाद दिनाँक **19.08.2026** को पेश हो।

प्रकीर्ण वाद पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(शिवम वर्मा)
सिविल जज (जू०डि०), डलमऊ
रायबरेली।